## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 111/2019

**प्रार्थी**

किशनाराम पुत्र बदाराम जाति देवासी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

**विप्रार्थीगण:–**

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिवाना

**<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>**

उपस्थित :–

1. श्री ललित जांगीड अधिवक्ता प्रार्थी

### –:: आदेश ::–

दिनांक :–30.07.2021

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी खेत राजस्व गांव थापन पटवार हल्का थापन तहसील सिवाना में खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 167,366,367,400,41 व 528 रकबा क्रमशः 0.1214,0.4856,1.3921,0.5827 व 1.2140 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थी के पिता मृत्यु के बाद फौतदगी म्यूटेशन भरते समय तत्कालीन पटवारी द्वारा प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र बदाराम की जगह केसाराम पुत्र बदाराम अंकित कर दिया। प्रार्थी के समस्त सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम किशनाराम दर्ज है। प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतो की भूमि में केसाराम नाम दर्ज होने से सरकारी सेवाओं एंव ऋण इत्यादी में भारी परेशानी रहती हैं केसाराम और किशनाराम नाम से दोनो ही व्यक्ति एकमात्र प्रार्थी स्वंय है जिससे राजस्व रेकर्ड में दर्ज की गई गलती को सुधार किया जाना अत्यन्त ही आवश्यक होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजि[illegible] विप्रार्थी का जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थी [illegible] एकपक्षीय बहस सुनी गई । दौराने बहस प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा [illegible] वादग्रस्त [illegible]जी मे प्रार्थी का नाम केसाराम के स्थान पर किशनाराम किये जाने हेतु निवेदन किया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजात यथा राशनकार्ड, आधारकार्ड, मतदाता पहचान कार्ड ,पैन कार्ड व अन्य सरकारी दस्तावेजात में प्रार्थी का नाम किशनाराम पुत्र बदाराम अंकित है। अतः उक्त अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा थापन पटवार हल्का थापन तहसील सिवाना में खातेदारी भूमि खेत खसरा संख्या 167,366,367,400,41 व 528 रकबा क्रमशः 0.1214,0.4856,1.3921,0.5827 व 1.2140 हैक्टयर भूमि अशुद्ध नाम "केसाराम पुत्र बदाराम" के स्थान पर "किशनाराम पुत्र बदाराम " शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सिवाना को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सिवाना आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्धि कर पालना प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

( कुसुमलता चौहान )
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2021.09.03 12:45:18 IST
Reason: SelfAttested